Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

खण्ड I ◆ अंक 5

फरवरी 2005

मोनेटरी एण्ड क्रेडिट इन्फ़र्मेशन रिव्यू

नीति

शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश

सहकारी बैंकिंग क्षेत्र में मजबूत इकाइयों को मिलाकर एक करने को प्रोत्साहित करने तथा सुविधाजनक बनाने के लिए और साथ ही साथ कमज़ोर/व्यावहारिक रूप से सक्षम इकाइयों को बिना किसी अड़चन के कारोबार से बाहर निकलने के मौके उपलब्ध कराने के लिए रिज़र्व बैंक ने इस क्षेत्र में विलयन/समामेलन (मरजर/एमलगमेशन) के लिए दिशानिर्देश जारी किये हैं। ये दिशानिर्देश शहरी सहकारी बैंकों के मुख्य कार्यपालकों के पास इस अनुरोध के साथ भेजे गये हैं कि उन्हें उनके निदेशक बोर्ड के समक्ष रखा जाए। ये दिशानिर्देश सहकारी समितियों के रजिस्ट्रारों को भी भेजे गये हैं।

दिशानिर्देशों के अनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक, निम्नलिखित परिस्थितियों में, शहरी बैंक क्षेत्र में विलयन और समामेलन के लिए प्रस्तावों पर विचार करेगा :

(i) जब अधिग्रहीत (एक्वायर्ड) किये गये बैंक की निवल संपत्ति सकारात्मक है और जिस बैंक ने अधिग्रहण (एक्वायर) किया है, वह अधिग्रहीत बैंक के सभी जमाकर्ताओं की समग्र जमाराशियां संरक्षित करने का आश्वासन देता है;

(ii) जब अधिग्रहीत बैंक की निवल संपत्ति नकारात्मक है, परंतु जिस बैंक ने अधिग्रहण किया है वह स्वयं ही अधिग्रहीत बैंक के सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियां संरक्षित करने का आश्वासन देता है;

(iii) जब अधिग्रहीत बैंक की निवल संपत्ति नकारात्मक है और जिस बैंक ने अधिग्रहण किया है वह राज्य सरकार द्वारा विलयन की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में प्रदान की गयी वित्तीय सहायता से सभी जमाकर्ताओं की जमाराशियां संरक्षित करने का आश्वासन देता है।

विलयन/समामेलन के सभी मामलों में अधिग्रहण करने वाले बैंक के वित्तीय मानदंड, विलयन के बाद शहरी सहकारी बैंकों के लिए निर्धारित न्यूनतम विवेकपूर्ण और विनियामक अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए। आस्तियों के वसूली योग्य मूल्य का मूल्यांकन यथोचित सावधानीपूर्वक प्रक्रिया के माध्यम से किया जाना चाहिए।

ऐसे प्रस्तावों पर विचार करते समय रिज़र्व बैंक स्वयं को विलयन के वित्तीय पहलुओं, जमाकर्ताओं के हितों के साथ-साथ वित्तीय प्रणाली की स्थिरता तक ही सीमित रखेगा।

विलयन कौन कर सकता है?

एक सहकारी बैंक उसी राज्य में स्थित दूसरे सहकारी बैंक के साथ या ऐसे सहकारी बैंक के साथ, जो बहु राज्य सहकारी समिति अधिनियम के अंतर्गत पंजीकृत किया गया है, के साथ विलयन कर सकता है।

विलयन के लिए क्रियाविधि

विलयन का आवेदनपत्र संबंधित बैंकों द्वारा प्रस्तावित योजना देते हुए, सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार/सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को प्रस्तुत करना होगा। अधिग्रहण करने वाला बैंक प्रारूप योजना, मूल्यांकन रिपोर्ट और विलयन की योजना पर विचार करने के लिए संबंधित अन्य जानकारी के साथ योजना की प्रति रिज़र्व बैंक को भी भेजेगा। रिज़र्व बैंक, वित्तीय पहलुओं और मानदंड/घटकों के आधार पर जमाकर्ताओं के हितों के संदर्भ में योजना की जांच करेगा और राज्य के सहकारी समितियों के संबंधित रजिस्ट्रार को अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा और यदि अधिग्रहण करने वाला बैंक, बहु राज्य सहकारी बैंक हो तो सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार को और अधिग्रहीत किया जाने वाला बैंक जहां स्थित है, उस राज्य के सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार को सूचित करेगा।

रिज़र्व बैंक ने रजिस्ट्रारों से कहा है कि वे रिज़र्व बैंक को अपना अनुमोदन भेजने से पहले यह सुनिश्चित करेंगे कि अध्यादेश में निर्धारित उचित प्रक्रिया का अनुपालन किया जा रहा है। वे रिज़र्व बैंक से मंजूरी प्राप्त करने के बाद विलयन अधिसूचित करने के लिए सांविधिक क्रियाविधियों का अनुपालन भी सुनिश्चित करेंगे।

विषय सूची

	पृष्ठ
नीति	
शहरी बैंकों के लिए विलयन/समामेलन पर दिशानिर्देश	1
शहरी सहकारी बैंक	
बीमा व्यवसाय में शहरी सहकारी बैंकों का प्रवेश	2
शहरी सहकारी बैंक अपना नाम सही लिखें	2
शाखा बैंकिंग	
ऋण से संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम	2
बैंक शाखाओं द्वारा सिक्के स्वीकार न करना	2
तिजोरी-प्रेषणों में जाली नोटों का पकड़ा जाना	3
राहत/बचत बॉंड योजनाएं - भुगतान आदेश	3
बैंकिंग	
पूंजी पर्याप्तता पर प्रारूप विवेकशील दिशानिर्देश	3
बैंकों में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) लागू करना	3
खेलकूद संबंधी सामान के संबंध में लघु उद्योग निवेश सीमा	4
विदेशी मुद्रा	
फेमा के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग	4
कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं	4

शहरी सहकारी बैंक

बीमा व्यवसाय में शहरी सहकारी बैंकों का प्रवेश

समीक्षा के उपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि वर्तमान में 100 करोड़ रुपए के बजाय न्यूनतम 50 करोड़ रुपए की न्यूनतम निवल संपत्ति (नेटवर्थ) वाले अनुसूचित प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को बिना जोखिम प्रतिभागिता (विदाउट रिस्क पार्टीसिपेशन) के बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। अन्य शर्तें अपरिवर्तित बनी रहेंगी। भारतीय रिज़र्व बैंक ने इस बात को दोहराया है कि उसकी पूर्व अनुमति प्राप्त किए गए बगैर किसी शहरी सहकारी बैंक को बीमा व्यवसाय की एजेंसी का कार्य नहीं करना चाहिए। रिज़र्व बैंक ने यह भी निर्णय लिया है कि सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को बिना किसी जोखिम प्रतिभागिता के उनकी शाखाओं के नेटवर्क के माध्यम से परामर्श (रेफरल) आधार पर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति दी जाए। परामर्शी (रेफरल) व्यवस्था के अंतर्गत बैंक अपनी चुनिंदा शाखाओं के परिसरों के भीतर बीमा कंपनियों को पर्याप्त खुलासे (डिस्कोजर) तथा पारदर्शिता के साथ बैंक के ग्राहकों को अपने बीमा उत्पाद बेचने के लिए भौतिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करते हैं और उसके बाद एकत्र किए गए प्रीमियमों के आधार पर परामर्श (रेफरल) शुल्क कमाते हैं। परामर्श आधार पर बीमा व्यवसाय करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगी:

(i) बैंकों को बीमा कंपनियों के साथ रेफरल व्यवसाय करने के लिए इन्शोरेंस रेगुलेटरी एण्ड डेवलपमैंट अथारिटी के विनियमों का अनुपालन करना चाहिए।

(ii) बैंक अपने ग्राहकों के लिए कोई ऐसा प्रतिबंधात्मक व्यवहार नहीं करेंगे जिससे वे केवल बैंक द्वारा वित्तपोषित आस्तियों के संबंध में किसी बीमा कंपनी विशेष के पास ही जायें।

(iii) रेफरल व्यवस्था शुरू करने के इच्छुक बैंकों को आइआरडीए विनियमों का अनुपालन करने के अलावा उस बीमा कंपनी के साथ समझौता भी करना चाहिए जो उनके परिसर का उपयोग करने तथा बैंक की मौजूदा आधारभूत सुविधाओं का उपयोग करने से संबंधित हो। शुरुआत में यह समझौता तीन वर्ष से अनधिक अवधि के लिए होना चाहिए तथा बैंकों के पास यह विवेकाधिकार होना चाहिए कि वे बीमा कंपनी की सेवा से संतुष्ट होने के आधार पर समझौते की शर्तों पर फिर से बातचीत कर सकें अथवा प्रारंभिक अवधि के बाद कोई दूसरा समझौता कर सकें। उसके बाद, बैंक अपने निदेशक मंडल के अनुमोदन से दीर्घकालिक संविदा पर हस्ताक्षर करने के लिए स्वतंत्र होंगे।

(iv) चूंकि बीमा उत्पादों में बैंक के किसी ग्राहक की सहभागिता पूर्णत: स्वैच्छिक आधार पर है, इसलिए इसका उल्लेख बैंक द्वारा वितरित सभी प्रचार सामग्री में प्रमुखता से किया जाना चाहिए। बैंक द्वारा अपने ग्राहकों को दी जाने वाली बैंकिंग सेवाओं के प्रावधान तथा बीमा उत्पादों के बीच किसी प्रकार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं होना चाहिए।

(v) रेफरल व्यवस्था से संबद्ध किसी जोखिम, यदि कोई हो, को बैंक के व्यवसाय में अंतरित नहीं किया जाना चाहिए।

रेफरल व्यवसाय करने के लिए बैंकों को भारतीय रिज़र्व बैंक का पूर्व अनुमोदन लेने की आवश्यकता नहीं है।

शहरी सहकारी बैंक अपना नाम सही लिखें

रिज़र्व बैंक ने इस बात पर जोर दिया है कि शहरी सहकारी बैंक इस बात को अवश्य सुनिश्चित करें कि वे अपनी सभी स्टेशनरी मदों, प्रचार सामग्री, नाम पट्टिकाओं आदि पर अपना पूरा नाम सही-सही तरीके से प्रदर्शित करें और यदि किसी लोगो का प्रयोग करते समय भी यदि नाम प्रदर्शित किया जाना है तो भी लोगो में पूरा नाम ही प्रदर्शित किया जाये। किसी भी परिस्थिति में बैंक अपने नाम के संक्षिप्त रूपांतरण का प्रयोग न करें। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों को सूचित किया गया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि वे उन सभी विज्ञापनों, स्टेशनरी मदों, बोर्डों आदि को तुरंत हटा दें जिन पर प्रदर्शित उनके नाम उन्हें जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा लाइसेंस पर प्रदर्शित नाम के अनुसार नहीं हैं। प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों से यह भी कहा गया कि वे इस संबंध में एक अनुपालन रिपोर्ट 31 मार्च 2005 या उससे पहले तक भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को प्रस्तुत करें। मौजूदा अनुदेशों के अनुसार शहरी सहकारी बैंकों को अपना पूरा नाम उसी रूप में प्रदर्शित करना होता है जिस तरह से वह रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटियाँ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र पर तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा जारी लाइसेंस में प्रदर्शित है। अलबत्ता, यह पाया गया था कि कुछ बैंक उपर्युक्त अनुदेशों का पूरा-पूरा पालन नहीं कर रहे थे। अतएव, रिज़र्व बैंक ने सूचित किया है कि प्रत्येक बैंक के लिए यह अनिवार्य है कि वह स्टेशनरी की मदों, प्रचार सामग्री, नाम के बोर्डों आदि में अपना पूरा नाम प्रदर्शित करें जैसा कि संबंधित राज्य के रजिस्ट्रार सहकारी सोसायटियाँ द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा मंजूर लाइसेंस में प्रदर्शित किया गया है। इसके अतिरिक्त, बैंकों को अपने नाम के किसी संक्षिप्त रूप का प्रयोग करने से मना किया गया है। संक्षिप्त रूप में नाम के प्रयोग से शहरी सहकारी बैंकों की सही स्थिति का चित्रण नहीं हो पाता था और उनकी स्थिति को लेकर जन साधारण के मन में दुविधा उत्पन्न होती थी।

शाखा बैंकिंग

ऋण से संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर अग्रिम

समीक्षा करने के बाद भारतीय रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि मात्र ऋण से संबद्ध म्यूचुअल फंडों (डेट-ओरिएन्टेड म्युचुअल फंड्स) की यूनिटों की जमानत पर अलग-अलग व्यक्तियों को ऋण/अग्रिम देने के लिए मात्रा और मार्जिन संबंधी अपेक्षाओं का निर्णय प्रत्येक बैंक अपनी ऋण नीति के अनुसार स्वयं करें। अलबत्ता, ऋण सुविधा प्रदान करते समय उधारकर्ता की ऋण संबंधी आवश्यकताओं की स्वीकार्यता और निधि के उद्दिष्ट उपयोग के बारे में बैंक स्वयं संतुष्ट हो लें। अन्य म्युच्युअल फंडों (मात्र ऋण से संबंद्ध म्यूचुअल फंडों से भिन्न) की यूनिटों की जमानत पर दिये जाने वाले ऋणों और अग्रिमों के मामले में बैंक के वर्तमान दिशानिर्देशों में कोई परिवर्तन नहीं होगा।

ये परिवर्तन इस बात को देखते हुए किये गये हैं कि बैंकों से इस आशय के पत्र प्राप्त हो रहे थे कि मात्र ऋण से संबद्ध म्यूचुअल फंडों की यूनिटों की जमानत पर व्यक्तियों को दिये जाने वाले बैंक ऋणों को 10 लाख/20 लाख रुपये की सीमा से छूट दे दी जाए क्योंकि ऐसे अग्रिमों की गणना बैंकों द्वारा पूंजी बाज़ार को उपलब्ध कराये गये वित्त के अंग के रूप में नहीं की जाती है। इससे पूर्व के दिशानिर्देशों के अंतर्गत ऋण से संबद्ध और इक्विटी से संबद्ध म्यूचुअल फंडों में कोई अंतर नहीं किया गया था। इसलिए ऋण संबद्ध म्यूचुअल फंडों की मूर्त रूप में और डीमैट रूप में भी रखी गई यूनिटों की जमानत पर भी व्यक्तियों को दिये गये बैंक ऋण की मात्रा क्रमश: 10 लाख रुपये और 20 लाख रुपये तक सीमित थी।

बैंक शाखाओं द्वारा सिक्के स्वीकार न करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बैंकों को एक बार फिर सूचित किया है कि वे यह सुनिश्चित करें कि उनकी शाखाएं जनता से सभी मूल्यवर्ग के सिक्के बिना किसी बंधन के स्वीकार करती रहें। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि सरकार तथा रिज़र्व बैंक को देश के विभिन्न भागों से बैंक शाखाओं द्वारा सिक्के न स्वीकार करने से संबंधित शिकायतें अभी भी मिल रही हैं। बैंकों को सूचित किया गया था कि अपने स्टाफ को इस मामले में समझाते रहें जिससे कि ग्राहकों से इस प्रकार की शिकायतें मिलने का कोई कारण न रहे। रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे शाखाओं द्वारा सिक्के स्वीकार करने से संबंधित अनुदेशों के पालन की सच्चाई जांचने की दृष्टि से क्षेत्रीय/आंचलिक प्रबंधकों द्वारा आकस्मिक दौरे कराना जारी रखें।

भारतीय रिज़र्व बैंक ने बाद में बताया कि किसी भी मूल्यवर्ग के सिक्कों की कोई कमी नहीं है और आम जनता को चाहिए कि वह सही रेजगारी वापिस पाने के लिए

अपने हक का इस्तेमाल करे और उन्हें देय शेष राशि के बदले कोई सामान स्वीकार न करे। बैंक ने इस बात पर ज़ोर दिया कि सभी मूल्यवर्गों के सिक्के वैध मुद्रा हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक की निगाह में ऐसी रिपोर्टें आयी थीं और उसे शिकायतें भी मिली थीं कि व्यापारी और दुकानदार सिक्के, विशेष रूप से 25 और 50 पैसे के मूल्यवर्ग के सिक्के न होने का बहाना बना कर छोटी रेजगारी लौटाने में आनाकानी कर रहे हैं। भारतीय रिज़र्व बैंक ने सूचित किया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों और बैंकों के पास किसी भी मूल्यवर्ग के सिक्कों की बिल्कुल भी कमी नहीं है। दरअसल, रिज़र्व बैंक को अपने कई कार्यालयों में सिक्कों की वापसी की समस्या का सामना करना पड़ रहा है अर्थात् जनता सिक्के लौटा रही है।

तिजोरी-प्रेषणों में जाली नोटों का पकड़ा जाना

रिज़र्व बैंक ने यह निर्णय लिया है कि बैंकिंग के माध्यम से चलन में जाली नोटों की बढ़ती प्रवृत्ति को रोकने के लिए एक समयबद्ध योजना बनायी जाए और बैंकों को सूचित किया गया है कि वे नीचे दी गयी समय-सारणी के अनुसार मुद्रा तिजोरी वाली समस्त शाखाओं में समुचित क्षमता की टेबल टॉप नोट छंटनी (सार्टिंग) मशीनें उपलब्ध करवाने की व्यवस्था करें।

(i) 100 मुद्रा तिजोरियों वाले बैंक समुचित क्षमता की नोट छंटनी मशीनें अपनी सभी मुद्रा तिजोरियों में मई 2005 के अंत तक लगवा लें और 31 मई 2005 को भारतीय रिज़र्व बैंक को की गयी कार्रवाई की रिपोर्ट भेजें।

(ii) 100 से अधिक मुद्रा तिजोरियों वाले बैंक चरणबद्ध तरीके से ऐसी मशीनें नवंबर 2005 के अंत तक लगवा लें और भारतीय रिज़र्व बैंक को कार्रवाई की की गयी रिपोर्ट 30 नवंबर 2005 को भेजें।

(iii) आंचलिक/सर्किल/क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा मशीनें लगाने के कार्यक्रम के बारे में भारतीय रिज़र्व बैंक के संबंधित निर्गम विभाग को एक माह के भीतर बताया जाना चाहिए।

इससे पूर्व, बैंक शाखाओं/तिजोरी शाखाओं द्वारा नोटों की प्राप्ति के समय ही सावधानीपूर्वक उनकी जाँच करने की आवश्यकता पर ज़ोर दिया गया था जिससे कि चलन में फिर से जाली नोटों के आने और भारतीय रिज़र्व बैंक के कार्यालयों को भेजे जाने वाले प्रेषणों में जाली नोट डाले जाने पर रोक लगायी जा सके। यह भी बताया गया था कि नोटों की समुचित छंटनी/संदिग्ध नोटों की पहचान के लिए मूलभूत सुविधाएँ जैसे कि छंटनी मशीनें, विशेष रूप से तिजोरी वाली शाखाओं में उपलब्ध करवायी जाएं। अलबत्ता, अभी हाल ही में स्थिति की समीक्षा करने पर पता चला था कि तिजोरी शाखाओं द्वारा भेजे गये प्रेषणों में अभी भी बड़ी संख्या में जाली नोट मिल रहे हैं।

राहत/बचत बाँड योजनाएं - भुगतान आदेश

रिज़र्व बैंक को राहत/बचत बाँड योजनाओं के संयुक्त धारकों से सुझाव प्राप्त हुए हैं कि राहत/बचत बाँडों की परिपक्वता राशियों के लिए भुगतान आदेशों को किसी एक धारक के नाम में जारी किया जाना चाहिए न कि सभी धारकों के पर जैसा कि वर्तमान में किया जा रहा है। मामले की रिज़र्व बैंक में जांच की गयी थी और अब यह निर्णय लिया गया है कि अब किसी एक संयुक्त धारक, जिसके पक्ष में शेष सभी धारकों द्वारा *संयुक्त धारकों का पॉवर ऑफ एटॉर्नी* के विनिर्दिष्ट फॉर्मेट में पॉवर ऑफ एटॉर्नी निष्पादित किया गया है, के नाम में भी परिपक्वता राशियाँ जारी किए जाने की अनुमति दी जाये। ब्याज वारंट पहले ही बाँड के प्रथम धारक के नाम जारी करने की अनुमति दी जा चुकी है।

बैंकिंग

पूंजी पर्याप्तता पर प्रारूप विवेकशील दिशानिर्देश

भारतीय रिज़र्व बैंक ने भारत में बासले II को लागू करने के लिए प्रारूप दिशानिर्देश जारी किये और उसे अंतिम रूप देने के लिए बैंकों से फीडबैक चाहा है। प्रारूप दिशानिर्देश व्यापक पहुंच के लिए रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर रखे गये हैं।

प्रारूप दिशानिर्देशों का आशय यह सुनिश्चित करना है कि बासले II में बिना किसी बाधा के जाया जा सके। उन्हें कुल 14 बैंकों के प्रतिनिधिक नमूने के साथ परामर्श करके रिज़र्व बैंक द्वारा तैयार किया गया है। इन बैंकों में भारतीय सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों और साथ ही साथ विदेशी बैंकों का भी प्रतिनिधित्व था। अंतर्राष्ट्रीय मानकों के साथ निरंतरता और समरसता के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए रिज़र्व बैंक ने निर्णय लिया है कि भारत में सभी बैंक कम से कम ऋण जोखिम (क्रेडिट रिस्क) के लिए मानकीकृत नज़रिया (स्टैंडडाइज्ड एप्रोच) और परिचालनगत जोखिम (ऑपरेशनल रिस्क) के लिए बेसिक इंडिकेटर नज़रिया 31 मार्च 2003 से अपना लेंगे। इसके अलावा, बैंक संशोधित ढांचे को आसानी से अपना सकें, इस बात का मार्गदर्शन देने के लिए दिशानिर्देशों में यह प्रस्ताव है कि भारत में बैंक पहली अप्रैल 2006 से संशोधित ढांचे का पैरलल रन अपना सकें।

पर्याप्त कुशलताएं विकसित कर लिये जाने के बाद बैंकों में तथा पर्यवेक्षी स्तरों पर कुछेक बैंकों को इस बात की अनुमति दी जा सकती है कि वे रिज़र्व बैंक का विशिष्ट अनुमोदन प्राप्त कर लेने के बाद आइआरबी एप्रोच को अपना लें।

आपको याद होगा कि बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासले समिति ने 26 जून 2004 को *इंटरनेशनल कन्वर्जन्स ऑफ कैपिटल मेजरमेंट एण्ड कैपिटल स्टैंडर्ड्स् : अ रिवाइज्ड फ्रेमवर्क* नाम का एक दस्तावेज जारी किया था। इसे बासले II के नाम से भी जाना जाता है। संशोधित ढांचे (रिवाइज्ड फ्रेमवर्क) को मौजूदा ढांचे पर इस रूप में तैयार किया गया है कि यह विनियामक पूंजी अपेक्षाओं (रेग्युलेटरी कैपिटल रिक्वायरमेंट्स) को भीतरी जोखिमों के साथ और अधिक निकटता से एक सीध में लाता है तथा उसे लागू करने से यह अपेक्षा की जाती है कि वह बैंकों में सशक्त जोखिम प्रबंधन व्यवहारों को अपनाने में मदद करेगा।

संशोधित ढांचे में आपस में एक दूसरे को सहारा देते हुए तीन स्तंभ हैं। ये हैं - न्यूनतम पूंजी अपेक्षाएं (मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट्स), पूंजी पर्याप्तता की पर्यवेक्षी समीक्षा (सुपरवाइजरी रिव्यू ऑफ कैपिटल एडिक्वेसी) तथा बाज़ार अनुशासन (मार्केट डिसिप्लिन)। स्तंभ एक के अंतर्गत फ्रेमवर्क में ऋण जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना करने के लिए तीन विशिष्ट विकल्प हैं तथा परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी अपेक्षा की गणना करने के लिए तीन अन्य विकल्प हैं। ऋण तथा परिचालनगत जोखिमों के लिए ये नज़रिये (एप्रोच) बढ़ती हुई जोखिम संवेदनशीलता पर आधारित हैं और बैंकों को एक ऐसा नज़रिया चुनने की अनुमति देते हैं जो कि बैंक के परिचालनों के विकास के स्तर पर सर्वाधिक उपयुक्त हैं। ऋण जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने के लिए उपलब्ध नज़रिये हैं - स्टैंडडाइज्ड एप्रोच, फाउंडेशन इंटरनल रेटिंग बेस्ड एप्रोच तथा एडवान्स्ड इंटरनल रेटिंग बेस्ड एप्रोच। परिचालनगत जोखिम के लिए पूंजी की गणना करने के लिए उपलब्ध नज़रिये हैं - बेसिक इंडिकेटर एप्रोच, स्टैंडडाइज्ड एप्रोच तथा एडवान्स्ड मेजरमेंट एप्रोच।

बैंकों में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (आरबीआइए) लागू करना

भारतीय रिज़र्व बैंक ने विभिन्न बैंकों में जोखिम-आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा (रिस्क बेस्ड इन्टरनल ऑडिट) की समीक्षा की है और समीक्षा से यह तथ्य उजागर हुआ है कि कतिपय बातें/कमियां रह गयी हैं जिन्हें दूर करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा का ढांचा कारगर है। मूल मार्गदर्शन नोट में से जो कुछ बातें/कमियां पायी गयी हैं, वे निम्नानुसार हैं:

(क) शाखाओं का जोखिम मूल्यांकन अंतर्निहित कारोबारी जोखिम (इन्हेरेंट बिज़िनेस रिस्क) और नियंत्रण जोखिम के आधार किया जाना चाहिए।

(ख) जोखिम मूल्यांकन को न केवल उच्च (हाइ), मध्यम (मीडियम) और न्यून (लो) के रूप में जोखिम का स्तर दर्शाना चाहिए, बल्कि जोखिम की प्रवृति भी वृद्धिशील ह्रासमान अथवा स्थिर के रूप में दर्शानी चाहिए।

(ग) यह जोखिम मूल्यांकन बिना किसी अपवाद के वार्षिक आधार पर किया जाना चाहिए।

(घ) यदि कोई क्षेत्र जोखिम मैट्रिक्स के खाने (सेल) सी - अत्यन्त भारी जोखिम में पड़े तो बैंक को शत प्रतिशत लेनदेन (ट्रांजैक्शन) परीक्षण करना चाहिये। यदि कोई क्षेत्र खाना बी - बहुत भारी जोखिम या एफ - बहुत भारी जोखिम में आये और ये जोखिम वृद्धिशील प्रवृत्ति दर्शा रहे हों तो भी बैंक शत-प्रतिशत लेन-देन परीक्षण (ट्रांजैक्शन टेस्टिंग) करने पर विचार कर सकता है। बैंक, न्यून जोखिम वाले क्षेत्रों

बिना पूर्वभुगतान के डाक से भेजने के लिए लाइसेंस संख्या South - 19/2004-05
माह के अंतिम दो दिन को मुंबई पत्रिका चॅनल छँटनी ऑफिस - GPO से प्रेषित

Regd. No. MH/MR/South-29/2004-05

के संबंध में जिनकी अपेक्षाकृत लंबे अंतराल पर लेखा-परीक्षा की जाएगी, के लेन-देन परीक्षण पर भी विचार कर सकता है जिसमें अचानक जांच का एक अंश निहित हो। जहां तक जोखिम मैट्रिक्स के अन्य खानों (सेल्स) में आनेवाले क्षेत्रों (यथा ए-भारी जोखिम, डी-मध्यम जोखिम, ई-भारी जोखिम, एच-मध्यम जोखिम, आइ-भारी जोखिम) का संबंध है, बैंक को अपने बोर्ड द्वारा विधिवत अनुमोदित अपनी जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा नीति के आधार पर लेन-देन परीक्षण का स्तर निर्धारित करना होगा।

(ङ) बैंक को एक जोखिम लेखा-परीक्षा मैट्रिक्स तैयार करना होगा जो जोखिम की मात्रा और आवृति पर आधारित होगा। जोखिम लेखा-परीक्षा मैट्रिक्स की तैयारी बैंक को बासले II के अंतर्गत परिचालनगत जोखिम हेतु समुन्नत मापन दृष्टिकोण (एडवांस्ड मेजरमेंट एप्रोच) की दिशा में आगे बढ़ने में भी समर्थ बना सकती है।

रिज़र्व बैंक ने बैंकों को सूचित किया है कि वे इस संदर्भ में जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा और नीति संचालन की पद्धति की समीक्षा करें ताकि उसे दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाया जा सके। बैंक एक कार्यदल (टास्क फोर्स) का गठन करें, जिसमें वरिष्ठ कार्यपालक हों और उन्हें यह जिम्मेदारी सौंपें कि वे जोखिम आधारित आंतरिक लेखा-परीक्षा शुरू करने के लिए एक कार्य योजना तैयार करें।

खेलकूद संबंधी सामान के संबंध में लघु उद्योग निवेश सीमा

भारतीय रिज़र्व बैंक ने सभी बैंकों को सूचित किया है कि भारत सरकार ने अब स्टेशनरी, ड्रग तथा फार्मास्युटिकल की कई मदों के संबंध में प्लांट और मशीनरी में निवेश सीमा को एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर 5 करोड़ रुपये कर दिया है। भारत सरकार ने 13 अक्टूबर 2004 की गजट अधिसूचना में खेलकूद संबंधी सामान से संबंधित सात मदों को सूचीबद्ध किया है। ये सामान अब तक लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा बनाये जाने के लिए सुरक्षित था। ये मदें 13 स्टेशनरी तथा 10 ड्रग तथा फार्मास्युटिकल मदों के अलावा थीं जो लघु उद्योग क्षेत्र द्वारा बनाये जाने के लिए आरक्षित मदों की सूची में डाली गयी हैं और जिनके लिए लघु उद्योग क्षेत्र निवेश सीमा पहले ही बढ़ाई जा चुकी है।

विदेशी मुद्रा

फेमा के अंतर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग

भारत सरकार ने भारतीय रिज़र्व बैंक के परामर्श से विदेशी मुद्रा विनिमय प्रबंधन अधिनियम (फेमा) के अन्तर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग की क्रियाविधि की समीक्षा की है। क्रियाविधियों की समीक्षा इसलिए की गयी है ताकि जानबूझकर, कपटपूर्ण और छलपूर्ण लेनदेनों के संबंध में कड़ा रुख अपनाते हुए लेनदेनों की लागत को कम किया जा सके तथा नागरिकों और कंपनी समुदायों को सुविधा प्रदान की जा सके। तदनुसार फेमा के अन्तर्गत उल्लंघनों की कंपाउंडिंग के मामलों की ज़िम्मेदारी रिज़र्व बैंक को दी गयी है। इसमें फेमा 1999 की धारा 3 खण्ड (क) को शामिल नहीं किया गया है। प्रवर्त्तन निदेशालय इन मामलों को निपटाता रहेगा।

फेमा के अन्तर्गत उल्लंघनों की कम्पाउंडिंग से उल्लंघनकर्ता को यह सुविधा मिल जाती है कि यदि उल्लंघनकर्ता उल्लंघन किये जाने की बात स्वीकार कर लेता है तो वह कानूनबाजी में पड़े बिना मौद्रिक दण्ड लगाये जाने के जरिये अपराध का निपटान कर सकता है।

रिज़र्व बैंक ने अब फेमा के अन्तर्गत उल्लंघनों की कम्पाउंडिंग के लिए संशोधित क्रियाविधि प्राधिकृत व्यापारियों को जारी की है। ये क्रियाविधि रिज़र्व बैंक की वेबसाइट (www.rbi.org.in) पर डाली गयी है। यह नोट किया जाये कि कंपाउंडिंग प्राधिकारी द्वारा किसी उल्लंघन को एक बार कंपाउण्ड कर दिये जाने के बाद उल्लंघनकर्ता के खिलाफ कोई कार्यवाई शुरू नहीं की जायेगी या जारी नहीं रखी जायेगी।

कंपाउंडिंग की प्रक्रिया

(क) फेमा के अंतर्गत उल्लंघन की सूचना ज्ञापन अथवा इसी प्रकार के अन्य माध्यम से दिए जाने पर अथवा उल्लंघन के बारे में मालूम होने पर फेमा के अंतर्गत उल्लंघन के कंपाउंडिंग का आवेदन कंपाउंडिंग प्राधिकारी के समक्ष प्रस्तुत किया जाए।

(ख) किसी उल्लंघन के कंपाउंडिंग के लिए आवेदन निर्धारित फार्म में ज्ञापन की प्रति के साथ, जहां लागू हो, निर्धारित शुल्क के साथ [जैसा कि विदेशी मुद्रा (कंपाउंडिंग प्रोसीडिंग्स) विनियमावली, 2000 में बताया गया है] संबंधित तथ्यों और अन्य समर्थक दस्तावेजों के साथ कंपाउंडिंग प्राधिकारी [फेमा के प्रभावपूर्ण कार्यान्वयन के लिए कक्ष(सीईएफए)] विदेशी मुद्रा विभाग, 11वीं मंजिल, केंद्रीय कार्यालय भवन, शहीद भगत सिंह मार्ग, फोर्ट, मुंबई 400 001 को प्रस्तुत किया जाना है।

(ग) कंपाउंडिंग के लिए आवेदन की प्राप्ति पर कार्यवाही समाप्त की जाएगी तथा कंपाउंडिंग प्राधिकारी कंपाउंडिंग के आवेदन की प्राप्ति की तारीख से 180 दिनों के भीतर आदेश जारी करेगा।

(घ) वह राशि, जिसके उल्लंघन के संबंध में कंपाउंडिंग की गई है, कंपाउंडिंग के आदेश की तारीख से 15 दिनों के अंदर अदा की जाएगी।

(ङ) आवेदन शुल्क तथा वह राशि, जिसके संबंध में उल्लंघन के लिए कंपाउंडिंग की गई है, का भुगतान कंपाउंडिंग प्राधिकारी, अर्थात् भारतीय रिज़र्व बैंक के पक्ष में डिमांड ड्राफ्ट द्वारा किया जाएगा जो मुंबई में देय होगा।

(च) संशोधित कंपाउंडिंग विनियमावली के अंतर्गत कंपाउंडिंग की प्रक्रिया और क्रियाविधि की छः महीने के बाद समीक्षा की जाएगी।

रिज़र्व बैंक ने प्राधिकृत व्यापारियों को सूचित किया है कि वे इस परिपत्र की विषयवस्तु से अपने घटकों और ग्राहकों को अवगत करा दें।

कर्मचारी स्टॉक ऑप्शन स्कीम के लिए रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति ज़रूरी नहीं

विदेशी निवेशों को और अधिक उदार बनाये जाने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि जहां विदेशी कम्पनी अपने शेयरों का प्रस्ताव कर्मचारी स्टॉक आप्शन स्कीम के अन्तर्गत कर रही है और उसकी भारतीय कम्पनी में परोक्ष रूप से अर्थात् स्पेशल परपज व्हीकल अथवा शेयर धारिता है तो उसे रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति की तब तक ज़रूरत नहीं है जबतक उसकी धारिता 51 प्रतिशत के कम बनी रहती है। इस तरह से, भारत का नागरिक कोई निवासी, कोई व्यक्ति होने की स्थिति में, जो कि भारत में किसी विदेशी कम्पनी स्टेप डाउन सहायक कम्पनी के माध्यम से भारतीय कार्यालय, शाखा अथवा सहायक कम्पनी का कर्मचारी अथवा निदेशक है, जिसमें विदेशी इक्विटी धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं है, विदेशी कम्पनी द्वारा प्रस्तावित किये जाने वाले इक्विटी शेयर खरीद सकता है। बैंक, वर्तमान में मामला दर मामला आधार पर अंतिम मूल कम्पनी अथवा सहायक कम्पनी अथवा समूह कम्पनी, जैसी भी स्थिति हो, के लिए अनुमति देता है जहां भारत में निवेश किसी धारिता कम्पनी/एसपीवि के जरिये किया गया हो।

अल्पना किल्लावाला द्वारा **भारतीय रिज़र्व बैंक,** प्रेस संपर्क प्रभाग, केंद्रीय कार्यालय, शहीद भगतसिंह मार्ग, मुंबई 400 001 के लिए संपादित और प्रकाशित तथा **ऑल्को कॉर्पोरेशन**, शाह ॲण्ड नहार इंडस्ट्रिअल इस्टेट, लोअर परेल (प.), मुंबई - 400 013 में मुद्रित । **ग्राहक नवीकरण तथा पते में परिवर्तन के लिए निदेशक, रिपोर्ट, समीक्षा और प्रकाशन विभाग (विक्री विभाग) आर्थिक विश्लेषण और नीति विभाग, भारतीय रिज़र्व बैंक, अमर बिल्डिंग, सर पी. एम. रोड, पो. बॉक्स सं. 1036, मुंबई 400 001 को लिखें। इंटरनेट www.cir.rbi.org.in /hindi पर भी उपलब्ध।**